

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

शुक्रवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 11, 1944)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक,2022
(क्रमांक 19 सन् 2022) में संशोधन की सूचना

माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले, श्री धर्मजीत सिंह, श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती इंदू बंजारे, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्यों द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक,2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तुत किये जाने की एक समान सूचनाएं दी हैं, जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ग्राह्य किया गया है :-

विधेयक के खण्ड 4 के पद (एक) में शब्द

“तेरह प्रतिशत” के स्थान पर “सोलह प्रतिशत”

तथा

“चार प्रतिशत” के स्थान पर “दस प्रतिशत” किया जाये।

दिनेश शर्मा

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा